



2026:AHC:44008

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2999, वर्ष 2026

राजनाथ प्रजापतियाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: श्री प्रकाश गिरी

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.पी. गिरी, नए सिरे से याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ, वर्तमान रिट याचिका वापस लेना चाहते हैं।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
3. तदनुसार, रिट याचिका उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लिए जाने के आधार पर खारिज की जाती है।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

फरवरी 26, 2026

एन.एस. राठौर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।